Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 12, Issue No. 2, January-2017, ISSN 2230-7540

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए मध्याह्न भोजन योजना

Satpal Manda*

Research Scholar PhD, Education, South India, Hindi Publicity Meeting, Madras

----------X----------

शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या से निपटने के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा को हर व्यक्ति के लिए सुलभ करवाने की दिशा में भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री नरसिम्हाराव ने 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना की शुरूआत की। इसी योजना को और सुचारू ढंग से चलाने के लिए तथा प्रत्येक बच्चे को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाना। जिसमें 300 कैलोरिज तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा को दिये जाने के निर्देश सिविल रिट पैटीशन न. 196/2001 People's Union for civil Liberties Versus Union of India में दिनांक 20.04.2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन सिंह ने 15.08.2004 से इस योजना को सरकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पहली से पांचवी कक्षा के बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत पका पकाया दोपहर का भोजन देने के लिये निर्देश दिये।

मध्याह्न भोजन योजना का इतिहास :

मध्याह्न भोजन योजना का इतिहास केवल 1995 से ही शुरू नही होता बल्कि इसकी जड़े प्राचीन शिक्षा नीतियों में विराजमान थी। 1925 में मद्रास कारपोरेशन ने आर्थिक स्तर पर कमजोर बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की। 1942 में बम्बई में भी मुफ्त भोजन योजना शुरू की। इसी प्रकार 1946 में बैगलोर शहर में भी मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई। 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मध्याह्न भोजन योजना को शुरू किया। 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद भिन्न–भिन्न राज्यों ने मध्याह्न भोजन योजना को अपने–अपने राज्यों में आरम्भ किया। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूनिसेफ, सार्क, एफ.ए.ओ., डब्ल्यूएचओ आदि संगठनों ने अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के विकास मे योगदान दिया। 1980 के दशक में इस योजना पर बार–बार सोचा गया तथा 1982 में अनसूचित जाति तथा जन जाति के लड़कियों के लिए एफएओ द्वारा ये योजना चलाई गईं। 1982 में केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन पर सलाहकार बोर्ड का गठन किया।

इस समय तक 15 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में यह योजना चल रही थी बाकि राज्य भी इसके पक्ष में थे। ताकि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके।

इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1984 में केन्द्रीय सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शुरू मध्याह्न भोजन योजना पर विचार किया तथा निम्न सुझाव दिये।

(1) यह क्रार्यक्रम 6–11 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया जायेगा, ताकि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सके।

(2) यह कार्यक्रम मानव स्त्रोतों में निवेश है। ताकि सभी बच्चों को लालच देकर स्कूल में लाकर भोजन तथा शिक्षा दी जायें ताकि गरीब अभिभावकों का कुछ बोझ कम हो सके तथा शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सकें।

इस प्रकार अलग–अलग राज्यों में भी मध्याह्न भोजन पर विचार जानने के लिए विचार गौष्ठियां की गई। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए उपाय अपनाने को कहा गया जिनमें से मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाना तथा जन–जाति के बच्चे को 1 रूपया उपस्थिति पुरस्कार के रूप में प्रदान करना मुख्य था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर जब 1992 में पुनः विचार हुआ तब भी इस योजना पर विचार किया गया।

मध्याह्न भोजन योजना पर पांचवा अन्तर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण (1986) :

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का तात्पर्य है, कि विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि इत्यादि से है। मध्यान्ह भोजन वहां पर अत्यंत उपयोगी है, जिन समुदायों में गरीब और अज्ञानता के अभाव से कुपोषित बच्चों की संख्या अधिक पाई जाती है।

भारत सरकार ने 1986 में मध्याहन् भोजन योजना पूर्ण रूप से शुरू करने से पहले राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण करवाया तथा आंकड़े इकठ्ठे किये जो इस प्रकार हैं। मुफत योजना 13.67 लाख को तथा 15.91 प्रतिशत प्राथमिक स्तर के छात्रों को मिल रहा था। प्राथमिक स्तर पर तमिलनाडू में 47.55 प्रतिषत को, सिक्किम में 46.14 प्रतिशत को, पश्चिम बंगाल में 47.84 प्रतिशत को, दादरा तथा नगर हवेली में 56.07 प्रतिशत को, त्रिपुरा में 59.94 प्रतिशत को तथा लक्षद्वीप में 60.11 प्रतिशत छात्रों को मध्याहन् भोजन वितरित किया जा रहा था।

मध्याह्न भोजन योजना सम्पूर्ण भारत में 27.9 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर, 24.28 प्रतिशत माध्यमिक स्तर पर तथा 7.20 प्रतिशत उच्च माध्यामिक स्तर पर प्रदान की जा रही थी। गांव तथा शहरी स्तर पर प्रतिशत गांव में 28.28 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर, 25.06 प्रतिशत माध्यामिक स्तर पर, 7.15 प्रतिशत उच्च स्तर पर तथा 11.8 प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्तर पर 20.95 प्रतिशत

www.ignited.in

माध्यामिक स्तर पर, 6.91 प्रतिशत उच्च स्तर पर तथा 11.84 प्रतिशत उच्च माध्यामिक स्तर पर प्रदान किया जाता था। इस रिपोर्ट के अनुसार 22.6 लाख छात्रों को मध्याहन् भोजन प्रदान किया जा रहा था जिसमें 78.14 प्रतिशत ग्रामीण तथा 29.86 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में तथा 12.81 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के बच्चे प्राप्त करते थे।

इस रिपोर्ट के बाद 1988 में शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक और सुझाव दिया गया कि अगर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को अगर 1 रूपया प्रति छात्र दिया जाए तो 277.32 करोड रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस प्रकार भोजन के शुरू होने से पहले ही 1991 तक भारत के 17 राज्यों में मध्याहन् भोजन योजना अपनाई जा चूकी थी।

चाहे इसको आंशिक रूप में अपनाया गया हो या सम्पूर्ण रूप में शिक्षा के सार्वभौमिकरण को उद्वेश्य को ध्यान में रखकर 15 अगस्त, 1995 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने प्राथमिक स्तर पर मध्याहन् भोजन योजना की व्यवस्था की। जिसमें 15 अगस्त 1995 से 15 अगस्त 2004 तक 1 किलो 500 ग्राम गेहूं जिसमें 300 कैलोरिज तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा हैं। वर्तमान समय में राज्य के प्रत्येक राजकीय पाठशाला तथा राजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक पाठशाला में दिया जा रहा है।

मध्याहन् भोजन योजना की विशेषताएं :

(1) इस योजना का उद्वेष्य प्रत्येक बच्चे को 300 कैलोरित तथा 8–12 ग्राम प्रोटिन की ऊर्जा प्रदान करना है। ताकि भारत के सभी बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकें। और शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सकें।

(2) प्रत्येक बच्चे पर प्रतिदिन लगभग 93 पैसे खर्च किया जा सकता है।

(3) अनाज की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है।

(4) यह व्यवस्था केवल सरकारी स्कूलों में प्रदान की जाती है।

(5) इसके लिये प्रत्येक स्कूल में खाना बनाने के लिए एक महिला को रखा गया है।

(6) इस स्कीम के अन्तर्गत मीठे चावल, सब्जी, पुलाव, पौष्टिक खिचड़ी, दलिया, बाकली पांच रैसपीज प्रदान की जाती है।

(7) खाद्यान्न की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(8) इस स्कीम को ब्लाक स्तर पर लागू किया गया है।

(9) इस स्कीम में स्थानीय समुदाय को जैसे ग्रामीण शिक्षा समिति, महिला संगठन डपाकरा ग्रुप पी.आर.आईज. के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है।

(10) इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है कि मध्याहन भोजन मध्याहन के समय ही दिया जाये ताकि छात्रों की शिक्षा तथा अध्यापकों का अध्यापन कार्य कुप्रभावित न हो।

(11) खाना बच्चों को परोसने से पहले उसे गुणवता के तौर पर कोई भी व्यवस्क व्यक्ति जिसमें अध्यापक/अध्यापिका या गांव का कोई गणमान्य व्यक्ति भोजन का स्वाद ले सकता है।

(12) एक महीने का खाद्यान्न अग्रीम में रखा जाता है। ताकि किसी स्टेज पर सामग्री के न होने के कारण योजना को कार्यान्वयन न रूके।

(13) खाना बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कोई भी छात्र उस स्थान के समीप न जाये। और ऐसी व्यवस्था की जाये कि खाना उस स्थान पर बनाया जाये जहां आग लगने का खतरा न हो।

(14) इस योजना को लागू करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि छात्रों को भोजन निरन्तर प्रतिदिन मिलता रहे तथा भोजन तैयार करते समय उसमें प्रयोग किये जाने वाले सामान की गुणवता अच्छी हो।

(15) इस कार्य के प्रबन्ध का मुख्य दायित्व प्राथमिक शिक्षा अधिकारी का है। जिसे छात्रों की संख्या के अनुपात में फण्डस उपलब्ध कराये गयें हैं।

(16) स्थानीय प्रशासन अधिकारी जैसे कि बीडीपीओ उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)/ अतिरिक्त उपायुक्त/उपायुक्त को इस योजना के कार्यान्वन तथा मूल्यांकन का अधिकार दिया गया हैं।

मध्याहन् भोजन योजना का उद्वेश्य :

15 अगस्त 2004 से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने मानवीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए मध्याहन भोजन योजना को लागू किया। इस स्कीम का मुख्य उद्धेष्य कुपोषण की समस्या का समाधान करना तथा छात्रों का दाखिला (एनरोलमैंट) बढ़ाना है।

मध्याहन् भोजन योजना का क्षेत्र :

मध्याहन भोजन योजना हरियाणा राज्य के सभी जिलों में राजकीय प्राथमिक तथा राजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक पाठशालाओं में लागू है जिसमें इस योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे को 300 कैलोरिज तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन मात्रा के अन्तर्गत पका पकाया दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है।

मध्याहन् भोजन योजना की वितरण प्रणाली :

मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत कच्चे सामग्री की जिम्मेवारी प्रत्येक जिले के उपायुक्त (डी. सी.) पर होती है जो अपने हिसाब से कमेटी का प्रबन्ध करता है तथा सामग्री को विद्यालयों तक पहुंचाता है।

मध्याहन् भोजन योजना का निरीक्षण :

मध्याहन भोजन योजना को सूचारू रूप से चलाने के लिए निरीक्षण का भी प्रबन्ध किया गया है इसके निरीक्षण के लिए जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया

www.ignited.in

गया है। जो पूरे जिला स्तर पर इस योजना का निरीक्षण करती है।

संदर्भ :

एन.सी.टी.ई.एक्ट (1993), www.ncte-india.org

अग्रवाल, बी.बी., (1996), आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएं, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2009)

करीकुलम फ्रेमवर्क फार क्वालिटी ncte-india.org टीचर एजुकेशन (1998), एएन.सी.टी.ई., नई दिल्ली।

विद्यालयीन पाठयचर्या की रूपरेखा, एन.सी.ई.आर.टी।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948–49, भारत सरकार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53, भारत सरकार, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1964–66, भारत सरकार, नई दिल्ली।

Corresponding Author

Satpal Manda*

Research Scholar PhD, Education, South India, Hindi Publicity Meeting, Madras

E-Mail – arora.kips@gmail.com